

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
विकलांग पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने हेतु एकमुश्त राशि रुपये
15000/- प्राप्त करने का आवेदन पत्र

उप निदेशक/सहायक निदेशक/
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.....

विषय : एकमुश्त राशि रुपये 15000/- प्राप्त करने का आवेदन पत्र।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं पेंशनधारी निःशक्त व्यक्ति/स्त्री हूँ। मैं अपना व्यवसाय करने हेतु अपनी विकलांग पेंशन बंद करवा कर एकमुश्त राशि रुपये 15000/- प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। मेरा विवरण निम्न प्रकार है :-

- 1 नाम
- 2 पिता/पति का नाम
- 3 आयु
- 4 निवासी (पूर्ण पता)
- 5 पी.पी.ओ. नंबर (प्रति संलग्न करें)
- 6 विकलांगता का प्रकार प्रतिशत
(विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 7 व्यवसाय जो करना चाहता है
- 8 व्यवसाय का स्थान एवं पता
- 9 व्यवसाय की अनुमानित लागत
- 10 शिक्षा

आवेदक के हस्ताक्षर

(पूर्ण नाम/पता)

मैंपिता/पति
निवासी
घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने जो विवरण अंकित किया है, वह पूर्णतया सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अंकित करें।

विकल्प पत्र (घोषणा)

मैं पिता/पति
निवासी
घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा पीपीओ नम्बर
है तथा से पेंशन प्राप्त कर रहा हूँ। मेरा बचत खाता
संख्या बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम
है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार स्वयं का व्यवसाय करना चाहता/चाहती हूँ। इसके लिए मैं रुपये 15000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) प्राप्त करना चाहता/चाहती हूँ। यह राशि प्राप्त करने के पश्चात् मैं मेरी विकलांग पेंशन की राशि प्राप्त करने का भविष्य में कभी भी दावा नहीं करूंगा/करूंगी तथा मेरे आश्रित भी इस राशि पर अपना अधिकार नहीं रखेंगे। मैं मेरा पीपीओ नम्बर (मूल) जमा करवाकर इसे अपनी सहमति से निरस्त करवाना चाहता/चाहती हूँ।

उक्त घोषणा मैंने अपनी स्वेच्छा से होश हवास एवं बगैर किसी दबाव के की है।

संलग्न : मूल पीपीओ नम्बर।

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

पूर्ण नाम एवं पता

पीपीओ नम्बर

प्रमाणित

नोटेरी पब्लिक